जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

''बिजली सबके लिए'' शिविरों का आयोजन 4 सितम्बर को

जयपुर, 03 सितम्बर। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत नए विद्युतीकृत क्षेत्रों व उसके आस–पास पूर्व में विद्युतीकृत गांवों में बिजली की सुविधा से वंचित आवासों को घरेलू बिजली कनेक्शन देने के लिए रविवार 4 सितम्बर को **बिजली सबके लिए** शिविरों का आयोजन किया जाएगा। योजना के तहत आयोजित शिविरों में जून माह से अब तक 22880 घरेलू बिजली कनेक्शन जारी किए गए है जिसमें 9882 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन जारी कर लाभान्वित किया गया है।

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि रविवार 4 सितम्बर, 2016 को प्रदेश के 23 जिला क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय/अटल सेवा केन्द्रों पर 201 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों का आयोजन प्रातः 10 से सांय 6 बजे तक किया जाएगा। शिविरों में ए.पी.एल. व बी.पी.एल. परिवारों को मौके पर घरेलू बिजली कनेक्शन जारी करने के साथ ही खराब मीटरों को बदलने की व्यवस्था भी गई है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत रविवार 4 सितम्बर को जयपुर डिस्कॉम में 83 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह अजमेर डिस्कॉम में 29 शिविर एवं जोधपुर डिस्कॉम में 89 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। **जयपुर डिस्कॉम** में झालावाड़ जिले में 12 शिविर, बांरा में 11 शिविर, कोटा में 10, बूंदी में 6, टोंक में 7, भरतपुर में 11, दौसा में 4, सवाई माधोपुर में 5 व अलवर में 17 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। **अजमेर डिस्कॉम** में भीलवाड़ा जिले में 5, चित्तोड़गढ़ में 4, अजमेर में 3, झंझुनू में 2, प्रतापगढ़ में 5, उदयपुर में एक व सीकर जिले में 9 शिविर लगाए जाएगें। **जोधपुर डिस्कॉम** में पाली जिले में 12 शिविर, जैसलमेर में 3, सिरोही में 9, श्रीगंगानगर में 12, चुरु में 12, जालोर में 5 व जोधपुर जिले में 36 शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि योजना के तहत अधिक से अधिक कनेक्शन जारी करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिविरों के स्थान का निर्धारण किया जा रहा है तथा अधिक से अधिक कनेक्शन जारी करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जा रहा है।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 434/2016